नमाज़ न पढ़ने वाले का हज्ज

[*हिन्दी*]

حكم حج من لا يصلي

[اللغة الهندية]

लेख

शैख़ मुहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन रहिमहुल्लाह

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

अनुवाद

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

ترجمة: عطاءالرحمن ضياء الله

संशोधन

शफीकुर्रहमान ज़ियाउल्लाह मदनी

مراجعة: شفيق الرحمن ضياء الله المدني

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

الرياض - المملكة العربية السعودية

इस्लामी आमन्त्रण एंव निर्देश कार्यालय रब्वा, रियाज़, सऊदी अरब

1428-2007

islamhouse.com

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ जो अति मेहरबान और दयालु है।

हर प्रकार की प्रशंसा सर्व जगत के पालन हार अल्लाह तआला के लिए योग्य है, तथा अल्लाह की कृपा एंव शांती अवतरित हो अन्तिम संदेष्टा मुहम्मद पर, तथा आप के साथियों, आप की संतान और आप के मानने वालों पर।

बे-नमाज़ी के हज्ज के विषय में सऊदी अरब के एक महा विद्वान मुहम्मद बिन सालेह बिन उसैमीन रहिमहुल्लाह से पूछा गया यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किये जा रहे हैं, आशा है कि यह फत्वा नमाज़ तथा अन्य धार्मिक कर्तव्यों से दूर लोगों के सुधार के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, जो इस भ्रम में हैं कि केवल हज्ज कर लेने से सब बेड़ा पार हो जाये गा। (अ.र.)

प्रश्न १ : जब ऐसा व्यक्ति हज्ज करे जो न नमाज़ पढ़ता हो और न ही रोज़े रखता हो तो उस के हज्ज का क्या हुक्म है? यदि वह अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से तौबा (क्षमा याचना) कर ले तो क्या वह छोड़ी हुई इबादतों की क़ज़ा करे गा?

उत्तर : नमाज़ का छोड़ना कुफ्र है, जो मनुष्य को इस्लाम से निष्कासित कर देता है और उसे सदेव-सदेव के लिए नरक का वासी बना देता है, जैसा कि कुर्आन एंव हदीस तथा सलफ सालेहीन - अल्लाह उन पर दया करे- के कथन इस पर तर्क हैं। इस आधार पर जो व्यक्ति नमाज़ नहीं पढ़ता है उस के लिए मक्का में प्रवेष करना जाइज़ नहीं (वर्जित) है; क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ فَلَا يَقۡرَبُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ بَعۡدَ عَامِهِمۡ هَٰذَا ۚ﴾ [التوبة:٢٨]

"ऐ ईमान वालो! नि:सन्देह मुश्रिक (अनेकेश्वरवादी) अपवित्र हैं, अत: इस वर्ष के बाद वह मस्जिदे-हराम (खाना-काबा) के निकट भी न फटकने पायें।" (सूरतुत-तौबा:२८)

नमाज़ न पढ़ने की स्थिति में उस का हज्ज कामदायक नहीं है और न ही स्वीकारनीय है, क्योंकि वह एक काफिर का हज्ज है और काफिर की इबादतें उचित नहीं मानी जाती हैं, इसका प्रमाण अल्लाह तआला का यह कथन है :

﴿وَمَا مَنَعَهُمۡ أَن تُقۡبَلَ مِنۡهُمۡ نَفَقَٰتُهُمۡ إِلَّآ أَنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ وَلَا يَأۡتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمۡ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمۡ كَٰرِهُونَ﴾ [التوبة:٥٤]

‘‘उनके खर्च के स्वीकार न किये जाने का इस के अतिरिक्त कोई कारण नहीं कि उन्होंने अल्लाह और उसके पैग़म्बर के साथ कुफ्र किया, और वह नमाज़ के लिए बड़ी काहिली से आते हैं और अप्रसन्नता (नाख़ुशी) से खर्च करते हैं।’’ (सूरतुत-तौबाः५४)

जहाँ तक छूटे हुए पिछले आमाल का संबंध है तो उस पर उनकी क़ज़ा (पूर्ति) करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि अल्लाह तआला का फर्मान है:

﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ ﴾ [**الأنفال**:٣٨]

‘‘आप इन काफिरों से कह दीजिये कि यदि यह लोग (अपने कुफ्र से) बाज़ आ जायें तो इन के सारे पाप जो पहले हो चुके वह सब क्षमा कर दिये जायें गे।’’ (सूरतुल-अनफालः३८)

अतः जो व्यक्ति इस प्रकार के पाप में लिप्त है वह अल्लाह तआला से सच्ची और ख़ालिस तौबा करे, नित्य रूप से नेकियों के कार्य करे और अधिक से अधिक अच्छे कामों (आमाल सालिहा) के द्वारा अल्लाह तआला की निकटता प्राप्त करे, और अधिकाधिक क्षमा याचना और तौबा करे, अल्लाह तआला का फर्मान है:

﴿قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [**الزمر**:٥٣]

‘‘(मेरी ओर से) कह दो कि ऐ मेरे बन्दो! जिन्होंने (बहुत अधिक पाप कर के) अपनी जानों पर ज़ियादती की है तुम अल्लाह की रहमत से निराश न हो जाओ, निःसन्देह अल्लाह तआला सारे गुनाहों को क्षमा कर देता है, सत्य में वह बहुत क्षमा करने वाला दयालू है।’’ (सूरतुज़-ज़ुमरः५३)

यह आयत तौबा करने वालों के बारे में उतरी है, इसलिए हर वह गुनाह जिस से बन्दा तौबा कर लेता है, चाहे वह अल्लाह तआला के साथ साझी ठहराना ही क्यों न हो अल्लाह तआला उस की तौबा स्वीकार कर लेता है। अल्लाह तआला ही सीधे मार्ग की रहनुमाई करने वाला है।

अनुवादक

(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह)*

atazia75@gmail.com